

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र
सत्र परीक्षण संख्या-502 / 2020
राज्य बनाम अखिलेश ।

04.12.2021 :-पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर अभियोजन पक्ष उपस्थित। अभियुक्तगण उपस्थित। इस मामले में प्रार्थना पत्र 67ख अंतर्गत धारा-319 दं.प्र.सं. का निस्तारण किया जाना है और अभियुक्त राकेश जायसवाल, रवि जालान व सर्वेन्द्र मिश्रा उर्फ शिवेन्द्र मिश्रा को तलब किये जाने की प्रार्थना की गई है। अभियोजन पक्ष की तरफ से बताया गया है कि इन अभियुक्तगण के विरुद्ध सी.बी.सी.आई.डी. से विवेचना हुई है और उनके संबंध में आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है। इस संबंध में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र सी.जे.एम. के न्यायालय में लंबित है। सत्र परीक्षण की पत्रावली सी.जे.एम. के न्यायालय में उपरोक्त प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तलब हुई है। अतः आज कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। यह बताया गया कि सी.जे.एम. न्यायालय की पत्रावली में दिनांक-16.12.2021 नियत है। अतः यह पत्रावली दिनांक-18.12.2021 को पेश हो।

सत्र न्यायाधीश,
सोनभद्र